राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशालय, पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक–पु.सं./स्मा./तक./20/3921 दिनांक 29.05.2020

:: आदेश ::

COVID-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी एडवायजरी एवं दिशा–निर्देशों एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य में स्थित समस्त राजकीय स्मारकों एवं संग्रहालयों में पर्यटकों के प्रवेश पर निदेशालय के कार्यालय आदेश 2741–2778 दिनांक 17.03.2020 के क्रम में दिनांक 18.03.2020 से रोक लगा दी गई थी।

दिनांक 01.06.2020 से विभाग के समस्त स्मारकों एवं संग्रहालयों को खोलने का निर्णय सक्षम स्तर से लिया जा चुका है। समस्त स्मारकों/संग्रहालयों को पर्यटकों हेतु खोलने एवं संचालित करने हेतु दिशा–निर्देश (SOP) सक्षम स्तर से अनुमोदित किए गए हैं, जिसकी प्रति संलग्न है।

अतः समस्त अधीक्षकों/संग्रहाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधीन समस्त स्मारकों एवं संग्रहालयों को पर्यटकों हेतु खोलने एवं संचालित करने हेतु विभाग द्वारा जारी संलग्न दिशा–निर्देशों (SOP) की पालना करेंगे। साथ ही स्मारकों/संग्रहालयों को खोलने से पूर्व एवं पश्चात् तथा दोपहर के अन्तराल में उचित साफ–सफाई, पर्यटकों एवं स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग, हाथों को सैनेटाइज करवाना, सभी पर्यटकों/स्टाफ के लिए मास्क की अनिवार्यता तथा सामाजिक दूरी (Social Distancing) बनाये रखने संबंधी सभी सावधानियों का पालन सुनिश्चित करें। कर्फ्यू एवं कन्टेनमेन्ट जोन के लिए स्थानीय जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी।

सभी अधीक्षक/संग्रहाध्यक्ष 30–31 मई को समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकतानुसार दिशा निर्देशों के पोस्टर/निर्देशक बोर्ड लगवायेंगे तथा स्मारकों/संग्रहालयों के खोलने के संबंध में पोस्टर्स भी लगवाये जावें। दिनांक 01 जून, 2020 को पर्यटन विभाग के सहयोग से लोक कलाकारों के कार्यक्रम आयोजित किये जावें, तत्पश्चात मंगलवार (02.06.2020) से पर्यटकों के लिये संलग्न दिशा निर्देशों (SOP) के अनुसार व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की जावें।

संलग्नः– दिशा–निर्देशों (SOP) की प्रति।

29/5/2020
(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
निदेशक

क्रमांक–पु.सं./स्मा./तक./20/3922–3962 दिनांक 29.05.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक पर्यटन विभाग, जयपुर को दिनांक 01.06.2020 को लोक कलाकारों के कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु। संबंधित अधीक्षकगण/संग्रहाध्यक्ष श्री आनंद त्रिपाठी संयुक्त निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर मो. नं. – 8963044460 से संपर्क करेंगे।
4. शासन उप सचिव, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. कार्यकारी निदेशक (प्रशा.), आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त अधीक्षक/वृत अधीक्षक, पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग............................।
8. समस्त संग्रहाध्यक्ष, राजकीय संग्रहालय,..।
9. निदेशक, जयपुर वैक्स म्यूजियम, नाहरगढ दुर्ग, जयपुर को इस निर्देश के साथ कि वे विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों (SOP) के साथ खोले।
10. रक्षित पत्रावली।

29/5/2020
निदेशक

लॉकडाउन के पश्चात् विभाग के स्मारकों/संग्रहालयों को खोले जाने के संबंध में दिशा–निर्देश (SOP)

1. लॉकडाउन के पश्चात् स्मारकों/संग्रहालयों को खोले जाने का समय एवं प्रवेश शुल्क निम्न प्रकार होगा –

अवधि	दिवस	समय	प्रवेश शुल्क (देशी–विदेशी पर्यटक)
प्रथम सप्ताह	मंगलवार, गुरूवार, शनिवार, रविवार	9.00 AM – 2.00 PM	निःशुल्क
द्वितीय सप्ताह	मंगलवार, गुरूवार, शनिवार, रविवार	9.00 AM – 1.00 PM 3.00 PM – 5.00 PM **(अवकाश समय में साफ–सफाई)**	निःशुल्क
तृतीय सप्ताह से	नियमित रूप से सभी दिवस (पूर्व प्रचलन अनुसार)	9.00 AM – 1.00 PM 3.00 PM – 5.00 PM **(अवकाश समय में साफ–सफाई)**	वर्तमान प्रवेश शुल्क का 50 प्रतिशत (31 अक्टूबर, 2020 तक)

2. यथा संभव ऑनलाईन टिकिट को अधिकाधिक बढावा दिया जायेगा।
3. स्मारकों/संग्रहालयों को खोलने से पूर्व स्मारकों की उचित साफ–सफाई (fumigation and sanitization) सुनिश्चित की जावेगी। सुबह व सांयकाल के अलावा दोपहर में भी आवश्यक साफ–सफाई सुनिश्चित की जावेगी जिससे किसी भी तरह का संक्रमण ना हो।
4. स्मारकों/संग्रहालयों में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी।
5. स्मारक/संग्रहालय में प्रवेश से पूर्व पर्यटकों के हाथों को सैनिटाइज करवाया जायेगा।
6. पर्यटक को बिना मास्क के प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
7. स्मारकों/संग्रहालयों में एक समय में केवल 5–6 पर्यटकों को प्रवेश कराया जायेगा और उसके कुछ समय के बाद (लगभग पांच मिनट के अंतराल पर) दूसरे समूह को प्रवेश दिया जायेगा, क्योंकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे एक स्थान पर एकत्रित ना हों। सुरक्षा गार्ड एवं डयूटी स्टॉफ यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्यटकों के बीच Social distancing बनी रहे तथा पर्यटक किसी भी पुरावस्तु, पुरासामग्री एवं स्मारक/संग्रहालय की दीवारों को छुए नहीं।

8. डयूटी पर आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच सामाजिक दूरियॉ Social distancing की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

9. कोरोना हाटस्पाट एवं कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फिलहाल डयूटी पर नहीं बुलाया जायेगा।

10. कर्मचारियों/पर्यटकों के लिए परिसर में पान/गुटका/धुम्रपान निषेध रहेगा। पान/गुटका/धुम्रपान की जांच सुरक्षा कार्मिकों द्वारा की जायेगी।

11. संबंधित अधीक्षकगण आवश्यकतानुसार अधिकारिक स्टाफ एवं होमगार्ड की उपस्थिति सुनिश्चित करें। सभी कार्मिक आवश्यक रूप से मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे।

12. हाउस कीपिंग स्टाफ को पारियों में बुलाया जाएगा और उन्हें भी मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा।

13. बुकिंग विंडो पर Social distancing की पालना हेतु सामने गोले बनाये जायेगें और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी सभी आवश्यक सावधानी बरतें।

14. स्मारकों/पर्यटक स्थलों पर संचालित बुकशॉप/कैफेटेरियॉ/रेस्टोरेन्ट आदि में भी Social distancing पर ध्यान रखा जायेगा तथा वहॉ कार्यरत सभी कार्मिक आवश्यक सावधानी रखेंगें।

15. टयूरिस्ट गाईडों को भी समस्त सावधानियॉ बरतनें हेतु पाबन्द किया जायेगा।

16. हाथी सवारी एवं रात्रिकालीन पर्यटन अग्रिम आदेशों तक बंद रहेगा। जिसके लिए पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

17. पर्यटक की आवक एवं प्रतिक्रियों पर आकलन के पश्चात ध्वनि और प्रकाश शो शुरू किया जा सकता है।

....